# सराहनीय कार्य

# इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 16.09.2023

**घर से मोटर साइकिल व मोबाइल चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

**कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल व 02 मोबाइल किये गये बरामद।**

**अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण मे थाना फ्रैण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

वादी शिवम खमौलिया पुत्र राकेश कुमार वर्मा निवासी 31/8 विजय नगर कालोनी थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रैण्ड्स कालोनी पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 13/14.09.2023 की रात्रि को उसके घर से अज्ञात चोर द्वारा होण्डा लीवो मोटर साइकिल व 02 मोबाइल चोरी कर लिया गया है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना फ्रैण्ड्स कालोनी पर मु0अ0सं0 289/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-**

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं के अऩावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 15/16.09.2023 की रात्रि को थाना फ्रैण्ड्स कालोनी पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि 01 व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल से ऊसरा अडडा हाइवे अन्डरपास की ओर आ रहा है, सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व 02 मोबाइल सहित ऊसरा अड्डा सर्विस रोड के पास अन्डरब्रिज से समय 04.25 बजे गिरफ्तार किया गया।

**पुलिस पूछताछ**

पकडे गये अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि यह मोटर साइकिल व 02 मोबाइल विजय नगर कालोनी निवासी शिवम खमौलिया के घर से चोरी किये थे, मोबाइल को मेरे द्वारा बेच दिया गया है तथा ये मोबाइल भी मेरे द्वारा लोगों के घर से चुराये गये है। इसी तरह मैं लोगों के घरों से चोरी करके उनका सामान बेचकर धन लाभ अर्जित करता हूँ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना फ्रैण्ड्स कालोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 289/2023 धारा 379 भादवि में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगणः-**

1. पिन्टू पुत्र सुरेश बंजारा निवासी रामनगर मौजा बुआपुर थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 21 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोगः-**

1. मु0अ0सं0 289/2023 धारा 379/ 411 भादवि थाना फ्रैण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

**आपराधिक इतिहास-**

**अभियुक्त पिन्टू पुत्र सुरेश बंजारा**

01. मु0अ0सं0 123/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
02. मु0अ0सं0 518/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा
03. मु0अ0सं0 206/22 धारा 379/411 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा
04. मु0अ0सं0 209/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा
05. मु0अ0सं0 289/23 धारा 379/ 411 भादवि थाना फ्रैण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

**बरामदगीः-**

1. **01 मोटर साइकिल होण्डा लीवो (UP75 AC 7312)**
2. **01 मोबाइल लिनोवो कम्पनी का**
3. **01 मोबाइल (OPPO कम्पनी का)**

**पुलिस टीमः-** **निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह प्रभारी थाना फ्रैण्ड्स कालोनी, उ0नि0 गनेश गुप्ता, उ0नि0 रामदास, का0 कुलदीप कुमार, का0 राजकुमार कुन्तल ।**